र्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

म पीठासीन अधिकारी :— श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

करण संख्या :— 145/13

दायर दिनांक 26.12.13
निर्णय दिनांक — 26.06.15

अनवान

अम्बालाल पिता भेमजी पाटीदार बनाम
निवासी - चितरी
तहसील - गलियाकोट
(वादी)

तहसीलदार
गलियाकोट
(भूमिधारी)
(प्रतिवादी)

निर्णय

वादी श्री अम्बालाल पिता भेमजी पाटीदार नि. चितरी ने वाद प्रस्तुत कर मौजा चितरी के खाता संख्या 6 जमाबन्दी संवत् 2066-69 किता खेत 1 कुल रकबा 2 बीधा भूमि होकर खातेदार श्री अफई पिता भेमजी .... के नाम दर्ज रेकार्ड अंकित है। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का सही नाम अम्बालाल पिता भेमजी है लेकिन इस खाते में गलत नाम अफई पिता भेमजी अंकित हो गया है वादी ने अपना सही नाम अम्बालाल पिता भेमजी होने की पुष्टी में प्रमाण राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/विधालय प्रमाण पत्र/पंचायत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

वादी का प्रार्थना पत्र राजस्व खाते में नाम संशोधन कराने का होकर वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है। वादी ने वाद कि पुष्टि करते हुए खाते में नाम गलत होने से सही नाम दर्ज कराने का वाद प्रस्तुत किया है। भूमिधारी/पटवारी की रिपोर्ट भी प्राप्त की गई तो खाते में नाम गलत होने से सही नाम अंकित कराने रिपोर्ट की गई है।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी मौजा चितरी के खाता संख्या 6 जमाबन्दी संवत् .... का सहखातेदार/खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इस खाते में वादी का गलत नाम अफई पिता भेमजी अंकित है। रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी तहसीलदार एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादी का सही नाम अम्बालाल पिता भेमजी होने की पुष्टि होती है ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मौजा चितरी के खाता संख्या 6 जमाबन्दी संवत् 2066-69 खेत किता 1 कुल रकबा 2 खातेदार/सहखातेदार में वादी का अंकित गलत नाम अफई पिता भेमजी के स्थान पर संशोधित किया जाकर सही नाम अम्बालाल पिता भेमजी अंकित किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार हो नंबर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
सागवाड़ा अधिकारी

Scanned by CamScanner